

मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो
गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2026 (चैत्र 12, 1948)

विधान सभा की सदस्यता से निरर्हता

मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22-दतिया से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेन्द्र भारती के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश श्री दिग्विनय सिंह (पीसी एक्ट) सीबीआई-09 (सांसद/विधायक मामले) राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक SC/06/2025 पर पारित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2026 के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 191(1) (e) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत श्री राजेन्द्र भारती उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 02 अप्रैल, 2026 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गए हैं.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.